न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः 08/2020

अपीलांट

1. सुकिया देवी पुत्री किशनाराम जी पत्नी मांगीलाल जी जाति मेघवाल उम्र 61 वर्ष, निवासी राणावास हाल निवासी बिजलीयावास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
2. हजारीराम पुत्र स्व. श्री लच्छाराम जी उम्र 68 वर्ष, जाति मेघवाल निवासी राणावास तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली राजस्थान।
3. प्रेमदेवी पुत्री स्व. श्री लच्छाराम जी पत्नी श्री पोकरराम जी जाति मेघवाल उम्र 73 वर्ष निवासी राणावास हाल निवासी मेघवालो का बास, बालेलाव तहसील व जिला पाली राजस्थान।
4. अणचाई पुत्री स्व. श्री लच्छाराम जी जाति मेघवाली उम्र 71 वर्ष निवासी राणावास हाल निवासी मेघवालो का बास देवलीकलां तहसील रायपुर जिला पाली राजस्थान।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. प्रेमनाथ पुत्र श्री मंसा जी जाति योगी (नाथ) निवासी राणावास तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली राजस्थान।
2. जसनाथ पुत्र श्री मंसाजी जाति योगी (नाथ) निवासी राणावास, तहसील मा.जं. जिला पाली राजस्थान।
3. सुरेन्द्र नाथ पुत्र श्री भीकनाथ जी
4. नरेन्द्र नाथ पुत्र श्री भीकनाथ जी
5. इन्द्रनाथ पुत्र श्री भीकनाथ जी
6. जेठी पत्नी भीकनाथ जी जाति योगी(नाथ) निवासीगण राणावास, तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली राजस्थान।
7. सुरेन्द्रनाथ पुत्र श्री पोकरनाथ जी जाति योगी(नाथ) निवासी मारवाड जंक्शन जिला पाली राजस्थान।
8. कमला पुत्री श्री पोकरनाथ जी पत्नी श्री किस्तुरनाथ जी जाति योगी(नाथ) निवासी जोगेलाव तहसील देवगढ जिला राजसमंद हाल निवासी राणावास तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली राजस्थान।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री गजेन्द्र दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

—: निर्णय :—

दिनांकः— 013-01-2021

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 13/1970 बउनवान किशना वगैरा बनाम मंशा वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 26.08.1970 एवं दिनांक 04.02.1971 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित। विद्वान अभिभाषक की प्रकरण में एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण के पूर्वजो किसना, लच्छा पिसरान दुरगा जी कौम भांबी निवासी राणावास तहसील मारवाड जंक्शन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट के पूर्वजो मंसा, किसना पिसरान हुकमा योगी के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा राणावास के खसरा नंबर 602, 603, 604, 605 कुल खसरा 04 रकबा 1.9222 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। उक्त वाद रेवेन्यू मूल वाद संख्या 13/1970 बउनवान किसना वगैरह बनाम मंसा वगैरह को दिनांक 14.05.1970 को दर्ज किया गया। उक्त वाद में प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। उसके पश्चात वाद में आगामी पेशी दिनांक 28.051970, 16.07.1970, 06.08.1970, 26.08.1970 नियत हुई, इसी दौरान दिनांक 20.08.1970 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री मान ASO साहब हेतु कार्यालय खारची में नही है जोधपुर में है। जिससे दस्तबरदारी नजदीक फरमाया जकर वापस दिलाई जावे ताकि मुतालिक कार्यालय में प्रस्तुत कर सके। वादी लच्छाराम केवल हस्ताक्षर करना जानता था एवं किसना अनपढ था, जिसको जानकारी दिये बिना एक अन्य प्रार्थना पत्र बाबत वाद खारिज फरमाने का पेश करवा दिया। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 26.08.1970 की आदेशिका में इन्द्राज किया गया कि वादीगण ने अपना मुकदमा वापिस ले लिया है, जबकि वादीगण ने वाद को संबधित कार्यालय में पेश करने का निवेदन किया गया था, जिसका इन्द्राज आदेशिका दिनांक 26.08.1970 में अंकित नही किया गया। उक्त आदेशिका में आगामी दिनांक 16.09.1970 नियत की गई थी, उसके पश्चात आगामी पेशी 14.10.1970, 14.01.1971, 04.02.1971 नियत की गई। दिनांक 04.02.1971 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की अनुपस्थिति में वादीगण द्वारा दिनांक 26.08.1970 को दावा विड्रोल करने का हवाला देते हुए दावा खारिज कर दिया। जो कि विधिसम्मत नहीं है। वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण के पूर्वज किसना, लच्छा, पिसरान दुरगा जी कौम भांबी मेघवाल सरहद मौजा राणावास के गत खसरा नंबर 429 व 430 की जमाबंदी संवत 2017 से 2020 के अनुसार बतौर खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण के पूर्वजो का निरन्तर कब्जा काश्त रहा है एवं उनके जीवनकाल से अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है। सरहद मौजा राणावास के गत खसरा नंबर 429 व 430 का एक हकतर्कनामा का हवाला देते हुए तत्कालीन पटवारी हल्का राणावास एवं तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत राणावास के द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

उक्त कृषि भूमि के खातेदार किसना लच्छा पिसरा दुरगा कौम भांबी के स्थान पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 178 के मंसा , किसना पिसरान हुकमा कौम योगी के नाम दिनांक 14.06.1968 की खातेदारी परिवर्तित कर दी गई, जबकि अपीलांटगण के पिता किसना, लच्छा पिसरान दुरगा कौम भांबी जो अनुसूचित जाति के थे तथा मंसा, किसना पिसरान हुकमा कौम योगी स्वर्ण जाति के व्यक्ति थे तथा दोनो की जाति भिन्न थी। दोनो के बीच में कोई रक्त संबध नहीं था। हकतर्कनामा मात्र रक्त संबध रखने वाले पक्षकारान के बीच ही होता है। वादग्रस्त आराजी के खातेदार किसना, लच्छा पिसरान दुरगा कौम भांबी जो अलग परिवार के सदस्य थे तथा मंसा किसना पिसरान हुकमा कौम योगी अलग परिवार के सदस्य थे, ऐसी स्थिति में कोई हकतर्कनामा निष्पादित कानूनन नहीं हो सकता। उक्त हकतर्कनामा के आधार पर दर्ज किया नामान्तरकरण संख्या 178 विधि विरूद्ध दर्ज किया गया था, जो कि एबइनिशियो वाईड था। अपीलांट के पिता किसना, लच्छा पिसरान दुरगा दिनांक 26.08.1970 को न्यायालय मे कतई उपस्थित नहीं हुए थे, जिनकी उपस्थिति बाबत आदेशिक में किसी प्रकार का उल्लेख नही किया हुआ है न ही आदेशिका में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया हुआ है न ही आदेशिका दिनांक 20.08.1970, 26.08.1970 एवं 04.02.1971 को कोई हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशानी है तथा न ही किसी अधिवक्ता के पहचान बाबत हस्ताक्षर है। अगर अपीलांट के पूर्वजो द्वारा विड्रोल किया जाता है तो उनके पक्षकारान के हस्ताक्षर आदेशिका में करवाये जाते। उसके बावजूद भी दिनांक 26.08.1970 में आदेशिका की पालना में दिनांक 04.02.1971 को वाद खारिज करने का आदेश पारित किया गया। जो कि विधिसम्मत नहीं है।अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण के पूर्वजो का वाद बिना जानकारी दिये बिना सूचित किये पारित किया गया था, जिसके कारण अपीलांटगण को उक्त आदेश की जानकारी अपील प्रस्तुत करने की दिनांक तक नही हो सकी थी। प्रकरण में सारवान बिन्दु निहित होने से धारा 05 म्याद शुमार अधिनियम को स्वीकार कर अपील म्याद शुमार फरमाई जावे। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय को अपास्त फरमाया जाकर अपीलांटगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे।

वकील अपीलांट की प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम के प्रार्थना का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। जहां तक प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम का प्रश्न है तो हस्तगत प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी जमाबंदी संवत 2017 से 2020 तक अपीलांटगण के पूर्वजो यानि अनुसूचित जाति के व्यक्तियो के नाम दर्ज थी एवं उसके पश्चात अवैध हकतर्कनामे के आधार पर उक्त आराजी तत्कालीन पटवारी हल्का राणावास एवं तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत राणावास के द्वारा उक्त आराजी का नामांतरकरण संख्या 178 रेस्पोडेन्ट के पूर्वज यानि गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियो के नाम दर्ज कर दी गई। जो कि धारा 42 (ब) का पूर्णतया उल्लघंन है। इस संबध में माननीय राजस्व मंडल एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय–समय अपने पारित विनिर्णयो में यह प्रतिपादित किया गया है कि जहां पर प्रकरण में सारवान बिन्दु निहित हो, तो ऐसे प्रकरण को केवल मात्र म्याद के बिन्दु पर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसे प्रकरणो में रेकर्ड का पूर्ण अवलोकन करने के पश्चात गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये, जिससे पक्षकारो का न्याय मिल सके। इस संबध में माननीय राजस्व मंडल द्वारा अपने विनिर्णय 2008(1)RRT 1406 Rajasthan Odyogic &Khanji Vikas Nigam, Jodhpur & Anr. vs Shiva Ram & Ors. मे यह प्रतिपादित किया गया है कि "**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956–धारा 84 –परिसीमा अधिनियम, 1963–धारा 5 –विलम्ब का शमन–धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन स्वीकार किया व विलम्ब माफ किया–28.05.1970/08.06.1970 के आदेश एवं नामान्तरकरण दिनांक 23.12.70 को चुनौती दी–32 वर्ष के बाद अपील पेश की–विलम्ब शमन हेतु कालावधि सारवान नहीं है लेकिन पर्याप्त कारण सारवान् है–अति. संभागीय आयुक्त ने निर्णीत किया कि विधि का सारवान् प्रश्न व न्याय अन्तर्ग्रस्त है तथा अपील को मेरिट पर अधिनिर्णीत करने का निश्चय किया–निर्णीत अवैध अथवा अधिकारिता की त्रुटि आदेश में नहीं है।**" उक्त न्यायिक दृष्टान्त में यह स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है कि अगर प्रकरण में सारवान बिन्दु निहित हो तो अपील का निर्णय गुणवागुण पर पारित किया जाना चाहिये। हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी अवैध हकतर्कनामे के आधार पर रेस्पोडेन्ट के पूर्वजो के नाम खातेदारी में दर्ज की गई थी एवं अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (ब) का अवलोकन किये बिना अपीलांटगण के पूर्वजो की सहमति के बिना जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण में सारवान कानूनी बिन्दु निहित होने के कारण माननीय राजस्व मंडल के न्यायिक दृष्टान्त की रोशनी में अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अब जहां तक प्रकरण का गुणवागुण पर निर्णय पारित किये जाने का प्रश्न है तो हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि अपीलांटगण के पूर्वजो किसना, लच्छा पिसरान दुरगा जी कौम भांबी निवासी राणावास तहसील मारवाड जंक्शन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट के पूर्वजो मंसा, किसना पिसरान हुकमा योगी के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा राणावास के खसरा नंबर 602, 603, 604, 605 कुल खसरा 04 रकबा 1.9222 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर दिनांक 04.02.1971 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के पूर्वजो की अनुपस्थिति में वादीगण द्वारा दिनांक 26.08.1970 की आदेशिका के आधार पर दावा विड्रोल करने का हवाला देते हुए दावा खारिज कर दिया। हस्तगत प्रकरण में अपीलांटगण ने वादग्रस्त आराजी के संबध में जमाबंदी संवत 2017 व 2020 प्रस्तुत की है। उक्त जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी गत खसरा नंबर 429 व 430 पर अपीलांटगण के पूर्वज किसना, लच्छा, पिसरान दुरगाजी कौम भांबी के नाम बतौर खातेदार दर्ज थी। जिससे यह पूर्णतया स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी पर पूर्व से ही अपीलांटगण के पूर्वजो किसना, लच्छा, पिसरान दुरगाजी कौम भांबी (अनुसूचित जाति) का कब्जा काश्त था एवं वे वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के पूर्वजो का वाद यह अंकन करते हुए खारिज किया गया है कि अपीलांटगण के पूर्वजो द्वारा मुकदमा वापिस लेना चाहते है। इस संबध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.02.1971 को वाद खारिज किया गया है, किन्तु उक्त आदेशिका पर न तो अपीलांट के पूर्वजो यानि वादीगण के हस्ताक्षर है एवं न ही किसी अधिवक्ता के हस्ताक्षर है। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा दावे को विड्रोल कराने बाबत कोई सहमति नहीं थी। अधीनस्थ कर्मचारियो से मिलीभगत कर वाद खारिज किया गया था।

इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजी जमाबंदी संवत 2017 से 2020 तक अपीलांटगण के पूर्वजो यानि वादीगण के नाम बतौर खातेदार दर्ज थे, उसके पश्चात वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा राणावास के गत खसरा संख्या 429 व 430 का एक हकतर्कनामा का हवाला देते हुए तत्कालीन पटवारी हल्का राणावास एवं तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत राणावास के द्वारा उक्त आराजी का नामांतरकरण संख्या 178 के अपीलांटगण के पूर्वज (अनुसूचित जाति) से रेस्पोडेन्ट के पूर्वजो (स्वर्ण जाति) के नाम दिनांक 14.06.1968 को खातेदारी परिवर्तित कर दी गई। अब हस्तगत प्रकरण में कानूनी बिन्दु यह उद्भूत होता है कि क्या अनुसूचति जाति के व्यक्ति की खातेदारी कृषि भूमि किसी स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज की जा सकती है अथवा नही ? इस संबध में कानून का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की कृषि भूमि को हकतर्कनामा के आधार पर किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम परिवर्तित करने का कोई प्रावधान नहीं है एवं हकतर्कनामे के लिये भी खातेदारो के मध्य रक्त संबध होना आवश्यक है। किन्तु हस्तगत प्रकरण में दोनो पक्षकार भिन्न–भिन्न जातियो के है। ऐसी परिस्थतियो में हकतर्कनामा कानूनन वैध नहीं है। ऐसे अवैध हकतर्कनामे के आधार पर अनुसूचति जाति के व्यक्ति की खातेदारी आराजी स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम जरिये नामान्तरकरण दर्ज की जाती है तो ऐसा नामान्तरकण नल एंड वोईड है एवं कानून में ऐसे हस्तानांतरण की कोई मान्यता नहीं है। कानूनन हकतर्कनामा केवल रक्त संबध रखने वाले व्यक्तियो के मध्य ही हो सकता है। हस्तगत प्रकरण में अवैध हकतर्कनामे के आधार पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति की आराजी (कृषि भूमि) को गैर अनुसूचति जाति के नाम दर्ज की गई है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (ब) का पूर्णतया उल्लघंन है। अगर ऐसे अवैध हकतर्कनामे के आधार पर भरे गये नामान्तकरण के जरिये वादग्रस्त आराजी का आगे से आगे बेचान व हस्तानांतरण किया जाता है तो ऐसा हस्तानांतरण अवैध व शून्य है एवं धारा 42 (ब) का स्पष्ट उल्लघंन है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के संबध में अवैध हकतर्कनामे के आधार पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियो की आराजी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियो के नाम दर्ज होने का बिन्दु प्रकट हुआ था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हकतर्क कानून एवं धारा 42(ब) के प्रावधानो की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि अनुसूचित जाति के व्यक्तियो की सम्पति (कृषि भूमि) गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियो के नाम दर्ज कानूनन हो ही नहीं सकती है। ऐसी स्थिति में अपीलांटगण के पूर्वजो द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्णतया स्वीकार योग्य था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून को नजरअंदाज करते हुए जरिये विड्रोल दावा खारिज किया है जो हाजा न्यायालय की राय में कतई न्यायोचित नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

08/2020

सुकियादेवी बनाम **प्रेमनाथ वगैरह**

पेज संख्या 6/6

सारांश

उपरोक्त अपील में वर्णित तथ्यो एवं दस्तावेजो के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादग्रस्त आराजी संवत 2017 से 2020 की जमाबंदी के अनुसार लच्छा, किसना पिसरान दुरगा कौम भांबी (अनुसूचित जाति) के व्यक्ति के नाम खातेदारी दर्ज शुदा थी। उक्त आराजी के खातेदार लच्छा, किसना पिसरान दुरगा कौम भांबी के स्थान पर अवैध नामान्तरकरण संख्या 178 के आधार पर दिनांक 14.06.1968 को मंशा, किसना पिसरान हुकमा योगी (नाथ) स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम एक हकतर्कनामा के आधार बनाकर परिवर्तित करना पाया गया है। जो पूर्णतया कानून के विरूद्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (बी) के प्रावधानो के अनुसार इस प्रकार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी आराजी भूमि किसी गैर अनुसूचति जाति के व्यक्ति के नाम नहीं की जा सकती है तथा हकतर्कनामा किसी रक्त संबध रखने वाले संयुक्त खातेदार के मध्य ही हो सकता है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में दोनो पक्षकार भिन्न–भिन्न जाति के व्यक्ति है तथा दोनो पक्षकार कभी संयुक्त खातेदार भी नहीं रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 13/1970 बउनवान किशना वगैरह बनाम मंशा वगैरह प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद में स्पष्ट अंकन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी कब्जा काश्त की थी, जिसको अवैध हकतर्कनामे के आधार पर दर्ज किये नामान्तरकरण संख्या 178 को सही साबित करने एंव कभी उक्त पक्षकारो के मध्य वाद–विवाद होने पर वाद के निर्णय को पेश कर सही साबित करने के आशय से वाद प्रस्तुत कर विड्रोल करवाया जाना प्रतीत हो रहा है, जबकि उक्त समस्त कार्यवाही विधि विरूद्ध है। किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी आराजी किसी न्यायालय की डिक्री के आधार पर भी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम परिवर्तित नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में वाद संख्या 13/1970 बउनवान किसना वगैरह बनाम मंशा वगैरह में पारित आदेश दिनांक 26.08.1970 एवं दिनांक 04.02.1971 को अपास्त किया जाना न्यायोचित है तथा वादग्रस्त आराजी के संबध में राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को 6 माह के भीतर पक्षकारो के साक्ष्य सबूत लेकर निस्तारण किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 13/1970 बउनवान किशना वगैरा बनाम मंशा वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 26.08.1970 एवं दिनांक 04.02.1971 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (ब), हकतर्क कानून एवं सिविल प्रक्रिया सहिंता 1908 के कानूनी बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए अपीलांगण को सुनवाई का अवसर दिया जाकर 06 माह में वादग्रस्त आराजी के संबध में खातेदारी घोषित करे। तब तक अपीलांटगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल नहीं करे एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति वाद के मूल निर्णय तक बनाये रखे। दोनो पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 16/02/2021 को उपस्थित हो।

निर्णय आज दिनांक 13/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली